फा.सं. 11016/1/2019-हिंदी

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 30 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिन्दी सलाहकार समिति की सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

माननीय संस्कृति राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 29 अगस्त, 2022 को संस्कृति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी जिससे संबंधित कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।

अत: बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा कार्यवृत्त के किसी मद के संबंध में यदि कोई टिप्पणी हो तो राजभाषा प्रभाग को अवगत कराएं ताकि आगे की अपेक्षित कार्रवाई की जा सके।

यह कार्यवृत्त माननीय संस्कृति राज्य मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न : यथोपरि

संजुक्ता मुदगल 30/09/22

(संजुक्ता मुदगल)

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

वितरण :

1. संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी माननीय सदस्य गण।
2. माननीय संस्कृति मंत्री के निजी सचिव।
3. माननीय संस्कृति राज्य मंत्री के निजी सचिव।
4. सचिव (संस्कृति) के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
5. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (सी.पी.जे.)/ संयुक्त सचिव (ए.पी.एस.)/ संयुक्त सचिव (एल.पी.)/ सचिव (यू.एन.) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
6. संस्कृति मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुख।
7. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
8. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
9. प्रभारी, एनआईसी, संस्कृति मंत्रालय।
10. निदेश मिसिल।

संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 29 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2022 (सोमवार) को अपराह्न 02:30 बजे संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक साहित्य अकादेमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित माननीय संसद सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

2. इस बैठक के प्रारंभ में निदेशक (राजभाषा), डॉ. आर. रमेश आर्य ने सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया। संयुक्त सचिव श्रीमती संजुक्ता मुदगल ने माननीय सभाध्यक्ष एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का और समिति के सदस्यों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात् साहित्य अकादेमी के सचिव श्री के. श्रीनिवासराव ने भी सभी सदस्यों का अंगवस्त्रम् और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात् संगीत नाटक अकादेमी के कलाकार श्री बृजेश मिश्र और डॉ. अनुपमा काण्डपाल द्वारा सरस्वती वंदना की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने अपने करकमलों से मंत्रालय की प्रतिष्ठित 'संस्कृति पत्रिका' के 23वें अंक का विमोचन किया। इस पत्रिका के विषय में निदेशक (राजभाषा) ने यह अवगत कराया कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसीलिए इस पत्रिका के मुखपृष्ठ पर इसका चित्र प्रकाशित किया गया है। अब यह पत्रिका सभी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। तदुपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई।

3. **संयुक्त सचिव, श्रीमती संजुक्ता मुदगल** ने माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए यह अवगत कराया कि 03 वर्ष के पश्चात् यह बैठक आयोजित की गई है। संस्कृति मंत्रालय सहित इसके सभी अधीनस्थ कार्यालय संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन करते हुए सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत प्राप्त होने वाले हिंदी पत्रों के उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी में दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में मूल पत्राचार को बढ़ाने के लिए

अधिकारियों और कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्रालय और सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रति वर्ष हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और इस दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, संस्कृति विषयक मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों आदि के कार्यालयों में कार्यरत पदधारियों के अतिरिक्त, सेवानिवृत्त व्यक्ति भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 60 हजार रुपये का एक प्रथम पुरस्कार, 45 हजार रुपये का एक द्वितीय पुरस्कार, 30 हजार रुपये का एक तृतीय पुरस्कार तथा 10-10 हजार रुपये के 04 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। टिप्पण आलेखन से संबंधित योजना के अंतर्गत 10 पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें 05 हजार रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 03 हजार रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 02 हजार रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय में और दिल्ली से बाहर के अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पिछले वर्ष हमने 04 कार्यशालाएं आयोजित की थी और इस वर्ष भी दिल्ली से बाहर 05 कार्यशालाएं आयोजित करने का हमारा लक्ष्य है। इनमें टिप्पण और प्रारूप लेखन पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालय द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसकी समीक्षा कर कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

संयुक्त सचिव महोदया ने इस बात का भी उल्लेख किया कि हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई थी जिसमें 07 बिन्दुओं पर सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए थे। उन्होंने इन सुझावों पर लिए गए निर्णयों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में यह भी अवगत कराया कि लमही में प्रेमचंद पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति स्थापित की गई है, साहित्य अकादेमी द्वारा 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रदर्शनी लगाई गई। हिंदी में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संगीत नाटक अकादेमी, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, विक्टोरिया मेमोरियल और अन्य संस्थाओं द्वारा श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतियां की जा रही हैं। मंत्रालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत भी कार्यालयों में अन्य पदों के साथ साथ हिंदी के रिक्त पदों को

भरने का अभियान चलाया जा रहा है और यह कार्य दिसंबर, 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। वेतनमान के मामले और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

संस्कृति पत्रिका के संबंध में यह सूचित किया गया कि मंत्रालय में वर्ष 1952 से जो 'संस्कृति' पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, उसका प्रकाशन 2015 से 2020 तक रुका हुआ था, लेकिन इस पत्रिका का प्रकाशन ई-पत्रिका के रूप में पुन: शुरु कर दिया गया है। पत्रिका के 21वें अंक का विमोचन माननीय सभाध्यक्ष द्वारा किया गया था जिस पर उपस्थित सदस्यों ने संतुष्टि व्यक्त की। यह भी सुझाव दिया गया था कि पाण्डुलिपियों को हिंदी में अनुवाद करवाया जाए। इस संबंध में केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान ने सूचित किया कि बौद्ध धर्म से संबंधित 43 पाण्डुलिपियों का हिंदी में अनुवाद कराया गया है। इसके साथ साथ संयुक्त सचिव महोदया ने माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि तत्कालीन माननीय संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितंबर, 2020 को हुई बैठक में इन मदों पर समीक्षा की गई थी और इन मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर ली गई है जिस पर सभाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि अब हमें वर्तमान सदस्यों से सुझाव लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

4. **माननीय मंत्री महोदय** ने भी अवगत कराया कि इस बैठक में माननीय संस्कृति मंत्री महोदय और सचिव महोदय भी उपस्थित होने वाले थे परन्तु हैदराबाद के दौरे पर रहने के कारण और सचिव महोदय की गृह मंत्री के साथ बैठक होने के कारणवश वे इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं।

5. इसके बाद **निदेशक (राजभाषा), डॉ. आर. रमेश आर्य** ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि मंत्रालय और मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास जारी हैं। मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) का और नियम 5 का अनुपालन सभी कार्यालयों ने शत-प्रतिशत किया है। साथ साथ प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्य को भी लगभग सभी कार्यालयों ने प्राप्त कर लिया है। पिछले सत्र में प्रशिक्षण के लिए शेष टंककों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। हिंदी पुस्तकों की खरीद और हिंदी विज्ञापनों पर खर्च लक्ष्य के अनुसार करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ हम पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। 'क' क्षेत्र के लिए यह लक्ष्य

100 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र के लिए 55 प्रतिशत है। मंत्रालय में हमने 'क' क्षेत्र में 62 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 60 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 58 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है और हमारे अधीनस्थ कार्यालयों में लगभग 95 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत पत्राचार किया जा रहा है। फिर भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो कमियां हैं उनके निराकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इस प्रयास को जारी रखेंगे। इसके साथ साथ यह अवगत कराया गया कि राजभाषा कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की पाठशालाओं में कार्यरत लगभग 3,500 अध्यापकों को संस्कृति और राजभाषा नीति के विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार से मंत्रालय की ओर से सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सहयोग दिया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि साहित्य अकादेमी दुनिया की सबसे बड़ी अकादेमी है जहां पर विभिन्न भाषाओं से संबंधित साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं से संबंधित साहित्य भी उपलब्ध है। आदिवासी साहित्य भी यहां पर उपलब्ध है। उपरोक्त ब्यौरा देने के बाद निदेशक (राजभाषा) ने समिति से निवेदन किया कि वे प्राप्त उपलब्धियों और प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा कर उनका मार्गदर्शन करें। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने बारी बारी से माननीय सदस्यों को सुझाव देने के लिए अनुरोध किया।

6. **माननीय सांसद, श्री सुमेधानंद सरस्वती जी** ने संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, सभी सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि काफी लंबे समय के बाद आज यह बैठक हो रही है। वर्ष 2018 के बाद कोरोना काल के कारण लंबे समय के बाद अब यह बैठक हो रही है। मुझे पहली बार इस बैठक में आने का मौका मिला है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रालय में अच्छे काम हो रहे हैं।

हमारे विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियां बनी हुई हैं, परन्तु संस्कृति मंत्रालय का एक अलग ही महत्व है। इसका काम इस प्रकार का हो कि अपने देश की संस्कृति को आम जन तक कैसे पहुंचाएं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विभिन्न गतिविधियां चला रही हैं। हमारी संस्कृति से संबंधित समूचा साहित्य यदि हिंदी भाषा में उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी

आम जन को व्यापक स्तर पर दी जा सकती है। जब तक कार्य को ढंग से व्यवस्थित नहीं किया जाता तब तक उस पर खरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए जिन संस्थानों में कर्मचारियों के पदों की कमी है, उन्हें पूरा किया जाए। इसके लिए समय सीमा तय करते हुए कार्यक्रम निश्चित किए जाएं।

आगे अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के लोग, यहां तक कि विदेशी लोग भी हिंदी फिल्में देख कर हिंदी भाषा सीख गए हैं। उनसे पूछे जाने पर वे यही बताते हैं कि उन्होंने हिंदी फिल्में देख कर हिंदी भाषा सीखी है। उन्होंने नाट्य कला को भी हिन्दी प्रसार का एक सशक्त माध्यम बताया, लेकिन उनका मानना था कि आजकल नाट्य कलाओं का धीरे-धीरे अभाव सा होता जा रहा है। देश में बाल विवाह की समस्या, अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियां और सामाजिक कुप्रवृत्तियां हैं। उन पर छोटे-छोटे नाटक लिखे जाएं और मंचन किए जाएं। इससे लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे नाटक और कविताएं लिखने वाले साहित्यकारों की पुस्तकें प्रकाशित की जाएं और उन्हें सम्मानित भी किया जाए।

उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपनी आत्म कथा को हिंदी में लिखने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानन्द सरस्वती थे जिन्होंने वेदों का अनुवाद हिंदी में किया था ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी लेकिन सभी लोग गुजराती नहीं समझते हैं इसलिए उन्होंने वेदों की भावना को समझाने के लिए हिंदी में अनुवाद किया जिसे वे आर्य भाषा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनके साहित्य को लोग यदि मूल रूप से हिंदी में पढ़ेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि अरविन्द और मुंशी प्रेमचंद के साहित्य से सभी लोग परिचित हैं। इस बात से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए मेरी राय है कि सभी संस्थानों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाए। इससे संस्कृति मंत्रालय का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। कार्यालयों द्वारा जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ।

7. **माननीय सांसद, श्री रोड़मल नागर जी ने** अपने विचार व्यक्त करते हुए समिति को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जी द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में पूरे देश में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए माननीय संसद सदस्य ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वयं हिन्दी भाषा को प्राथमिकता देते

हैं और वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपना वक्तव्य अथवा भाषण केवल हिन्दी भाषा में ही देते हैं, नीचे का स्तर ग्राह्य है लेकिन बीच के स्तर पर कुछ उदासीनता का भाव दिखाई देता है। जैसा कि बताया गया है कि मंत्रालय द्वारा हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है तो यह एक बहुत अच्छी बात है और इस पर उन्होंने अपना एक सुझाव समिति को यह भी दिया कि हमारे देश में उपलब्ध धार्मिक साहित्य से यदि संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में कुछ गीत, आरतियां और कुछ ईश वंदनाएं तैयार कराकर उन्हें पूरे देश में प्रचारित किया जाए तो ये आरतियां, वंदनाएं सहज ही सभी लोगों की जुबान पर आ जाएंगी जिससे हिंदी के प्रति भी लोगों का रुझान और आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के अपने चुनाव क्षेत्र राजगढ़ के बारे में बताते हुए प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा के निवास स्थान नरसिंहगढ़ में उनके मकान जहां पर उनका बचपन बीता था, को एक स्मृति स्थल के रूप में परिवर्तित कराने का अनुरोध माननीय अध्यक्ष महोदय से किया, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव देने के लिए कहा।

8. **डॉ. हरिसिंह पाल** ने अपने विचार रखते हुए समिति का ध्यान आकृष्ट किया कि पिछली सलाहकार समिति की बैठक में सभी माननीय सदस्यों को एक परिचय-पत्र जारी करने के लिए चौधरी यशपाल सिंह जी ने कहा था, लेकिन ये परिचय-पत्र माननीय सदस्यों को जारी नहीं किया गया है। उन्होंने समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा कि सलाहकार समिति के दो-दो सदस्यों की टीमें बनाकर उन्हें कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी सम्मेलनों एवं राजभाषा संगोष्ठियों या संबंधित कार्यक्रमों में भी सदस्यों को आमंत्रित किए जाने का सुझाव दिया।

सदस्य ने यह भी सुझाव दिया गया कि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही 'संस्कृति पत्रिका' एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसे ई-पत्रिका के स्थान पर प्रिंट रूप में प्रकाशित कराया जाए, क्योंकि प्रिंट माध्यम द्वारा प्रकाशित पत्रिका को कोई भी व्यक्ति सुगमता से पढ़ सकता है और इसका प्रसार भी अधिक हो सकता है। आज भी देश में इस पत्रिका की मांग है, इसलिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है। यह पत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध है परन्तु सभी लोग इससे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि भारत की विलुप्त होती लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उसके साहित्य को प्रकाशित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने 'संस्कृति पत्रिका' में हिंदी से जुडी विभिन्न बोलियों पर भी एक-एक लेख या लोक कथा या कविता को शामिल करने का सुझाव दिया और यह भी कहा कि जब वे आकाशवाणी में कार्यरत

थे तब उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को किया था। संपादन के कार्य में हम से भी सहयोग लिया जा सकता है। निदेशक (राजभाषा) संपादन का कार्य देखेंगे तो इतने सारे कार्यालयों से संबंधित कार्यान्वयन का कार्य कैसे कर पाएंगे। उन्होंने निदेशक (राजभाषा) को साधुवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बंजारा भाषा को देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध करने का काम किया है जो सराहनीय है। इसी प्रकार से अन्य बोलियों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

डॉ. पाल ने मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के मामले का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि मेरे संज्ञान में आया है कि एक अधिकारी को सहायक निदेशक (राजभाषा) से पदावनत कर दिया गया है, जोकि गलत निर्णय था। इस प्रकार से किसी के प्रति अन्याय होता है तो वे कैसे काम करेंगे। इस बात पर अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस मामले को देखेंगे।

9. **श्री यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी, सदस्य** ने कहा कि हमने 15 सुझाव लिखित रूप में दिए हैं। आज यह बैठक समिति के गठन के पश्चात् एक वर्ष बाद हो रही है जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगली बैठक के बीच का समय अंतराल कम रखा जाएगा। माननीय सदस्य ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की जानकारी सदस्यों को दी जानी चाहिए और सदस्यों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराये जाने चाहिए तथा विश्व हिंदी सम्मेलन या अन्य सम्मेलनों में समिति के सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्रालय की वेबसाइट तथा इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों की वेबसाइटों की समूची सामग्री द्विभाषी रूप (अंग्रेजी व हिंदी) में होनी चाहिए। वेबसाइट पर हिंदी सलाहकार समिति की सभी तरह की जानकारी अपलोड होनी चाहिए। मंत्रालय की संस्थाओं में फैलोशिप (अध्येतावृत्ति) का हिंदी में रूपांतरण उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं का विवरण समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों में एक लघु पुस्तकालय स्थापित करने, आम नागरिकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक हेल्पलाइन की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया।

सदस्य द्वारा लिखित रूप में दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं :

1. संसदीय राजभाषा समिति को आदर्श मानकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ सभी विभागों द्वारा समीक्षा बैठकों का आयोजन और आवश्यकतानुसार सहयोग लेना चाहिए।
2. विषय की मर्यादा को दृष्टिगत करते हुए हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों का परिचय पत्र जारी किया जाए।
3. हिंदी की अद्यतन गतिविधियों के लिए विश्वभर के संदर्भित विश्व हिंदी सम्मेलन, सभी सम्मेलनों, सेमिनार में इस हिंदी सलाहकार समिति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
4. गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या II 20015/12/97/रा.भा. (नीति-2द) दिनांक 19.03.1997 जो कि हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के जीवनवृत्त गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराने के संदर्भ में है। इस विषय में मेरा सुझाव है कि मंत्रालय की द्विभाषी वेबसाइट पर हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का जीवन वृत्त विवरण सार्वजनिक किया जाए।
5. संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा अध्येतावृत्ति का बहुधा हिंदी रूपांतरण नहीं है। यह हिंदी सलाहकार समिति इस बात पर पुनः आकलन करें कि कौन सी संस्था किस-किस विषय पर अध्येतावृत्ति देती है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस अध्येतावृत्ति की नियमावली हिंदी में है अथवा नहीं।
6. संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के विवरण इस हिंदी सलाहकार समिति के पास नहीं हैं। यह हिंदी सलाहकार समिति इस बात पर पुनः आकलन करे कि कौन सी संस्था गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन कर रही है और कौन से संस्थान गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन नहीं कर रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संस्थानों द्वारा गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित रखा जाए और जो संस्थान गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं कर रहे, वह इसकी शुरुआत करें।
7. संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों, उपक्रमों में एक लघु राजभाषा पुस्तकालय स्थापित किया जाए, जिसमें सारगर्भित, बहुउपयोगी पुस्तकें, शब्दकोश आदि भविष्य की धरोहर उपलब्ध कराए जाएं।
8. सांस्कृतिक सामंजस्य हेतु समेकित सांस्कृतिक शब्दावली/अंतरराष्ट्रीय शब्दावली बनाई जानी चाहिए।

9. देश भर के सभी सांस्कृतिक केन्द्रों में एक-एक साहित्यकार की आदमकद मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए।

10. इस मंत्रालय की पहुँच गाँव के अंतिम व्यक्ति तक है, जिसका बहुमत हिंदी बोलता, लिखता अथवा समझता है। मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उन सभी तक मिल सके, इसके लिए सभी सूचनाओं/फार्मों को हिंदी में व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

11. नागरिकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक हेल्प लाइन नंबर सुनिश्चित होना चाहिए।

12. संस्कृति मंत्रालय की मूल वेबसाइट अंग्रेजी में है। अद्यतन/हिंदी वेबसाइट के रख रखाव की व्यवस्था मंत्रालय की वेबसाइट पर द्विभाषी अनुपात बराबर नहीं है। मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित राजभाषा संस्करण के नवीनतम समाचार कुल पोस्ट विवरण पर संतोष नहीं कहा जा सकता।

13. भारत में लेखकों के लिए प्रोत्साहन अवसरों को तलाशा जाए, न कि परिसीमन में बांधा जाए। इस संदर्भ में संस्कृति विषयक मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना में प्रविष्टि के लिए मात्र वैतनिक ही नहीं अपितु भारत के समस्त अवैतनिक लेखकों को भी पात्र बनाया जाए।

14. विभिन्न संस्थानों में समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को विशेषज्ञ के रूप में उपयोग किया जाए।

15. समिति के सदस्यों को समिति से संदर्भित पत्राचार हेतु मंत्रालय की एनआईसी ईमेल आईडी उपलब्ध कराना चाहिए।

10. **श्री हाकम सिंह गुर्जर, सदस्य** ने माननीय संस्कृति राज्य मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष माननीय अर्जुन राम मेघवाल द्वारा समिति की अध्यक्षता करने पर उनका हार्दिक आभार जताया। उन्होंने उनके गृह जिला भाबई का नाम राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर रखने के लिए भी आभार व्यक्त किया और यह कहा कि समिति के सदस्यों को परिचय-पत्र दिया जाए, साथ ही राजघाट स्थित गांधी आश्रम में ठहरने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए उन्होंने लिखित में पत्र दिया है। इसके अलावा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित मानदेय निर्धारित किया जाए। उन्होंने भारतीय आरतियों के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए और लोकगीतों, लोककलाओं की जानकारी को लिपिबद्ध करने से संबंधित

माननीय सदस्य रोड़मल नागर जी और स्वामी जी के सुझावों का भी समर्थन किया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वे पत्रकार और संपादक हैं।

11. **श्री रामनारायण श्रीवास्तव, सदस्य** ने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण 04 साल बाद इस अमृतकाल में सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी को अंग्रेजी की आडंबरता से मुक्त कराने का समय आ गया है ताकि बार-बार इस तरह की समितियों का गठन करने की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि देश की मातृभाषा और राजभाषा हिंदी होने के बावजूद भी हिंदी की प्रगति के लिए सलाहकार समितियां बनानी पड़ती हैं। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय के पास सभी आयाम हैं, पुस्तकालय हैं, संग्रहालय हैं, खासकर तमिलनाडु हिंदीतर भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने हैरानी व्यक्त की कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के मामले का 2022 तक भी समाधान नहीं किया गया है। इस मामले पर शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। इस बात पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले को मैं स्वयं देखूंगा।

12. **भगवान विष्णु म्हामल, सदस्य** ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हिंदीतर भाषी राज्य गोवा से हूँ और स्थानीय भाषा में पढ़ाता हूँ। गोवा में लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव है। हिंदी के प्रति मेरा लगाव है इसलिए मेरा सुझाव है कि हिंदी शिक्षकों का एक संगठन बनाकर उन्हें हिंदी के प्रचार-प्रसार के कार्य में लगाया जाए। जहां हिंदी बोली जाती है वहां के शिक्षकों के द्वारा आम बोल चाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और हिंदी के शिक्षकों को इस कार्य से साथ जोड़े रखना चाहिए।

13. **डॉ. भगवती देवी, सदस्य** ने सभागार में उपस्थित सभी को हार्दिक नमस्कार करते हुए अवगत कराया कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और कुछ अतिरिक्त बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। अगर हम हिंदी की बात करें तो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को देखते हैं। हिंदी का दूसरा चेहरा यह भी है कि गांव के बच्चे हिंदी से प्यार करते हैं। सबसे पहले तो संस्कृति मंत्रालय की ओर से हमें जो काम सौंपा गया उससे मुझे काफी सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है क्योंकि इससे यह प्रतीत होता है कि हिंदी काफी प्रगति पर है। दूसरी तरफ हम यह देखते है कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए

उत्सुक रहते हैं। इसलिए मंत्रालय को कुछ ऐसी कोशिश और योजना तैयार करनी चाहिए जिससे पारिवारिक स्तर पर कुछ कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कुछ नाट्य मंडलियों द्वारा उनको हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित किया जा सके। हिंदी किस तरह से हमारे व्यक्तित्व या चरित्र से जुडी हुई है इस बारे में हमको शिक्षा दी जानी चाहिए। एक अन्य सुझाव यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में साहित्य अकादेमी और मंत्रालय द्वारा कई सारी राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां और पुस्तक मेला आदि का भी आयोजन किया जाना चाहिए। मेरा अंतिम और एक सुझाव यह है कि डोगरी साहित्य और कश्मीरी साहित्य को हिंदी साहित्य से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर एक निदेशालय की जरूरत है क्योंकि कोई भी शोध कार्य हो, चाहे वह विज्ञान का हो या सोशल साइंस का, कहीं न कहीं साइंस का शोध कार्य अंग्रेजी तक ही निर्भर है। इसलिए अनुवाद के द्वारा यह शोध कार्य समाज के करीब पहुंच सके इसके लिए जम्मू कश्मीर में एक ऐसे संस्थान की जरूरत है जो हिंदी भाषा को और आगे ले जा सके। धन्यवाद कहते हुए उन्होंने अपनी बात को विराम दिया।

14. **सभाध्यक्ष एवं माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी** ने उपस्थित माननीय सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी, माननीय सांसद रोड़मल नागर जी, सलाहकार समिति के अन्य सभी सदस्यों और उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सभी को उनके द्वारा दिए गए सुझावों के प्रति धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है। हमारी भाषा में भी बहुत-सी विविधताएं हैं। महर्षि अरविन्द, विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर आदि महापुरुषों ने राष्ट्र के विषय में जो परिभाषा की थी उस पर चर्चा करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच विचार किया था। राष्ट्र की परिभाषा को अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र वह होता है जिसका एक निश्चित भू-भाग होता है, भारत का भू-भाग निश्चित है। राष्ट्र का एक झंडा होता है और मुद्रा होती है, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। ये राष्ट्र के घटक हैं। इसी प्रकार से एक विषय संप्रभुता भी है, संप्रभुता वह है जिसमें कानून बनाने की शक्ति निहित होती है। इसके अतिरिक्त और एक विषय है भाषा, जब तक भाषा नहीं होगी राष्ट्र की परिभाषा अधूरी रहेगी। संविधान निर्माण के समय इन सब बातों पर विचार-विमर्श हुआ। विदेशी भाषा और संस्कृत पर भी विचार किया गया। काफी चर्चा के पश्चात् 15 साल तक अंग्रेजी को काम-काज की भाषा माना गया लेकिन हमारी राजभाषा हिंदी है जिसकी लिपि देवनागरी है। 15 साल का समय समाप्त होने तक पंडित नेहरू नहीं रहें और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हिंदी के विरोध में आंदोलन हुए,

जिस पर संसद में आकर शास्त्री जी को कहना पड़ा कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे काम-काज की भाषा रहेगी। तब जाकर आंदोलन समाप्त हुआ।

यह इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इस देश के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपना भाषण दिया, तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बढ़ा है। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर मंच पर, चाहे वह विज्ञान का मंच हो या धार्मिक मंच हो, अपनी बात हिंदी में ही बोलते हैं। जब जापान के प्रधानमंत्री जापानी में और फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंच में बोलते हैं तब उसका अनुवाद किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदी में भाषण देते हैं। इसका प्रभाव आज सभी मंत्रालयों पर पड़ रहा है जिसके कारण मंत्रालय में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है। आज सभी मंत्रालयों में हिंदी में टिप्पणियां प्रस्तुत की जा रही है और पत्राचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हमें हिंदी को अपनी दैनिक-चर्या के काम-काज में शामिल करना पड़ेगा और मातृभाषा को सम्मान देना होगा। गोवा के आंदोलन में राम मनोहर लोहिया की सराहना करते हुए कहा कि वे हिंदी भाषी थे जबकि उन्होंने जर्मनी में पढ़ाई की थी और उन्होंने गोवा के आंदोलन में हिंदी में आंदोलन किया था। उस समय कई हिंदी भाषियों ने गोवा के आंदोलन में भाग लिया था, जब जाकर गोवा आज़ाद हुआ था। इसलिए गोवा की आज़ादी में हिंदी भाषियों का बहुत योगदान है।

जब मैं सांसद था उस समय मैं अंडमान निकोबार गया था। तब मैंने देखा कि वहां हिन्दू और मुस्लिम नाम वाले पति पत्नी थे। तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम सेलुलर समाज के हैं जोकि सेलुलर जेल से रिहा हुए थे। सेलुलर जेल में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, सम्प्रदायों और क्षेत्रों से संबंधित कैदी थे जिन्हें वीर सावरकर ने हिंदी सिखाई थी। इन कैदियों में कोई बंगाल से, कोई पंजाब से और कोई तमिलनाडु आदि राज्य से था। वे लोग काफी समय तक जेल में रहे, इसलिए रिहा होने के बाद वे लोग वहीं बस गए। जो ज्ञान उन्हें वीर सावरकर ने उन्हें दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। वे लोग हिंदी बोलने लगे और एक सेलुलर समाज कहलाने लगे। आज आप देखेंगे तो बहुत लोग वहां पर हिंदी बोलते हैं। यह सब वीर सावरकर के कारण संभव हुआ। वहां कोई बंगाली है, कोई असमी है, कोई मद्रासी है, तो कोई पंजाबी है। यही सेलुलर समाज है। आज वे सब अपने ही समाज में शादी-विवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण क्रांति नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी।

हम सब आज विकास करने के लिए बैठे हैं। स्वामी जी ने अच्छा उदाहरण दिया कि महर्षि दयानंद जी ने हिंदी में लिखा, जबकि वे गुजराती में भी लिख सकते थे और वे बहुत बड़े विद्वान थे। वे विदेश इसलिए नहीं गए क्योंकि वे हिंदी और संस्कृत में ही अपने देश में प्रचार-प्रसार करना चाहते थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था इसलिए वहां पर मंत्रालय की सहायता से संग्रहालय बनवाया जा सकता है। हिंदी के विकास में उनका बड़ा योगदान है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उनके जन्म के 200 वर्ष के संदर्भ में हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। संसद में हम लोग बैठते हैं और हिंदी में सवाल-जवाब करते हैं। उन्होंने शशि थरूर जी और सुषमा स्वराज जी का भी उदाहरण दिया जिसमें सुषमा स्वराज जी ने शशि थरूर जी से कहा था कि आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, तब शशि थरूर जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने हिंदी फिल्मों से हिंदी सीखी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि हिंदी के साथ साथ देश की अन्य भाषाएं जैसे कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम आदि भाषाएं भी समान रूप से विकसित हों और हमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने की आवश्यकता है। इससे सभी भाषाएं समान रूप से समृद्ध होंगी। लेखकों को भी इस बारे में विचार करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था उसमें पांच प्रण थे। उनमें से एक प्रण यह भी था कि गुलामी के जो अवशेष हैं उन्हें अमृत काल में हमें मिटाना है। ऐसे बहुत से विषय आपने रखे हैं। मैं मानता हूँ कि हिंदी शिक्षकों का उपयोग हो, परिचय पत्र देने और निरीक्षण के अधिकार के संबंध में चिंतन करके बताएंगे। संस्कृति ई-पत्रिका का प्रकाशन मुद्रण रूप में हो, फेलोशिप का हिंदी में अनुवाद हो, संसदीय शब्दावली की तरह एक सांस्कृतिक शब्दावली भी तैयार की जाए, ये सभी अच्छे सुझाव हैं और इन पर विचार किया जाएगा। दो बैठकों के बीच का समय अंतराल कम किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यह भावना है कि सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध बनें। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी सदस्य को कुछ और कहना हो तो वे कह सकते हैं, जिस पर प्रो. गेशे नवाड. समतेन, कुलपति, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी ने यह सुझाव दिया कि प्रांतीय भाषाओं के जो शब्द हैं उन्हें लिया जाना चाहिए और अंग्रेजी के शब्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज अंग्रेजी के शब्दों का आधिपत्य है। इसलिए सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से एक शब्दावली का निर्माण होना चाहिए, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों के सुझावों को बहुत ही उपयोगी और सार्थक बताया और समिति को यह विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे और प्रेम व सद्भावपूर्वक सभी को हिंदी भाषा में काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। कहते हुए सदस्यों को धन्यवाद कहा। सदस्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकें अध्यक्ष महोदय को भेंट की गई।

अंत में, निदेशक (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

****

अनुबंध

संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 29 अगस्त, 2022 को संपन्न हुई बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/अधिकारियों की सूची

1.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री सुमेधानंद सरस्वती	सदस्य
3.	श्री रोड़मल नागर	सदस्य
4.	श्री यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी	सदस्य
5.	श्री हाकम सिंह गुर्जर	सदस्य
6.	श्री राम नारायण श्रीवास्तव	सदस्य
7.	डॉ. हरिसिंह पाल	सदस्य
8.	श्री भगवान विष्णु म्हामल	सदस्य
9.	डॉ. भगवती देवी	सदस्य
10.	श्रीमती संजुक्ता मुदगल, संयुक्त सचिव	पदेन सदस्य
11.	श्रीमती अमिता प्रसाद साराभाई, संयुक्त सचिव	पदेन सदस्य
12.	श्रीमती लिली पाण्डेय, संयुक्त सचिव	पदेन सदस्य
13.	श्री अद्वैत चरण गड़नायक, महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
14.	श्री अरिजित दत्त चौधुरी, महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	पदेन सदस्य
15.	प्रो. गेशे नवाड. समतेन, कुलपति, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी	पदेन सदस्य
16.	प्रो. राजेश रंजन, डीन, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा	पदेन सदस्य
17.	श्री संजय कुमार मंजुल, संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
18.	श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
19.	श्री सुभाष चन्द्र कानखेड़िया, अध्यक्ष, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली	पदेन सदस्य
20.	श्री बी. एल. मीना, निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
21.	डॉ. ए. नागेन्द्र रेड्डी, निदेशक, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	पदेन सदस्य
22.	श्री अजीत कुमार, निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
23.	प्रो. रमेश चन्द्र गौड़, निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
24.	डॉ. ग्युर्मेत दोर्जे, निदेशक, केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
25.	श्री ऋषि वशिष्ठ, निदेशक, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
26.	मो. फुरकान खान, निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला	पदेन सदस्य
27.	प्रो. सुरेश शर्मा, निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज	पदेन सदस्य
28.	श्रीमती किरण सोनी, निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर	पदेन सदस्य

29. डॉ. के. श्रीनिवासराव, सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली — पदेन सदस्य

30. श्री रामकृष्ण वेदाला, सचिव (प्रभारी), ललित कला अकादेमी, नई दिल्ली — पदेन सदस्य

31. डॉ. सत्यव्रत चक्रवर्ती, सचिव, एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता — पदेन सदस्य

32. श्री रीमे मारा बागरा, कार्यालय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली — पदेन सदस्य

33. श्री शिव प्रसाद सेनापति, पुस्तकालयाध्यक्ष, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय/ राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता — पदेन सदस्य

34. डॉ. सविता कुमारी, कुलसचिव एवं राजभाषा प्रभारी, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नोएडा — पदेन सदस्य

35. श्री मोइनुद्दीन अंसारी, प्रभारी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, लखनऊ — पदेन सदस्य

36. डॉ. राजेश कुमार मिश्र, प्रभारी राजभाषा, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज — पदेन सदस्य

37. श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रभारी राजभाषा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल — पदेन सदस्य

38. श्री गजानन शेल्के, विभाग प्रमुख, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर — पदेन सदस्य

39. श्री जगमोहन जारेड़ा, उप निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली — पदेन सदस्य

40. डॉ. शिवकुमार पटेल, सहायक मानव विज्ञानी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता — पदेन सदस्य

41. डॉ. अजित कुमार, पुस्तकालय सूचना अधिकारी, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय — पदेन सदस्य

42. श्री अबूसाद ईस्लाही, पुस्तकालय सूचना अधिकारी, रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर — पदेन सदस्य

43. डॉ. ठिनले ग्युरमेद, राजभाषा प्रभारी, अनुवादक, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लद्दाख — पदेन सदस्य

44. डॉ. सायन भट्टाचार्य, शिक्षा अधिकारी, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता — पदेन सदस्य

<u>अन्य अधिकारीगण</u>

45. डॉ. आर. रमेश आर्य, निदेशक (राजभाषा), संस्कृति मंत्रालय

46. श्री अनीष पी. राजन, सचिव, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली

47. श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय

48. श्रीमती रेणु सिंह, उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय

49. श्री अभिषेक नारंग, उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय

50. श्री सुमन कुमार, उप सचिव (नाटक/प्रशासन), संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली

51. श्री शिशिर शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), संस्कृति मंत्रालय

52. श्री के. एल. मीना, उप निदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली

53. श्री अनुपम तिवारी, संपादक, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली

54. श्री गजेन्द्र कुमार, प्रधान निजी सचिव, संस्कृति मंत्रालय

55. श्री धीरेन्द्र मोहन खरे, अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय

56. श्री पप्पुंजय कुमार, अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय

57. श्रीमती अंजना, अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय
58. श्री मनीष कुमार चौरसिया, अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय
59. श्री अनिल कुमार, हिंदी अधिकारी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली
60. श्रीमती पूजा शर्मा, सदस्य सचिव, राजभाषा, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नोएडा
61. श्री हरीश चन्द्र, सहायक हिंदी अनुवादक, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नोएडा
62. श्री सैयद तारिक अजहर, वरिष्ठ तकनीकी रेस्टोरर, रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर
63. श्री तेजस्वरूप त्रिवेदी, सहायक निदेशक (राजभाषा), संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली
64. श्रीमती चेतना वशिष्ठ, सहायक निदेशक (राजभाषा), राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
65. श्री संजीव नयन साहा, सहायक निदेशक (राजभाषा), संस्कृति मंत्रालय
66. श्री इकबाल अहमद, परामर्शदाता, संस्कृति मंत्रालय
67. श्री नरेश कुमार अरोड़ा, परामर्शदाता, संस्कृति मंत्रालय
68. श्री प्रवीण कुमार, आहरण एवं वितरण अधिकारी, संस्कृति मंत्रालय

*****